न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टीए/6659/2006/जालौर

1– कसाराम पुत्र श्री रीदाजी, जाति मेघवाल, निवासी धामसीन, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर।

------ अपीलांट

बनाम

1– कपूरा पुत्रान काना, जाति मेघवाल, निवासी धामसीन,
2– रमेश तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर।
3– राजस्थान सरकार।

------- रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री ओ.एल. दवे एवं श्री गौरव दवे, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री विरेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय दिनांक :– 14.12.2023

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225, के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालौर अपील संख्या 89/2004 में पारित निर्णय दिनांक 27–06–2006 बउनवानी कपूरा बनाम कसाराम के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कि वादी ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा के समक्ष एक दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–2004

के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट/प्रतिवादी ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालौर के प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27–06–2006 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–2004 अपास्त कर प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया गया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2006 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वास्तविकता से परे होकर मात्र कयासों पर आधारित होने से निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 की अपील मात्र इस आधार पर स्वीकार की कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद में की गयी समस्त कार्यवाही पूर्ण रूप से संदिग्ध प्रमाणित होती है अंकित कर स्वीकार कर पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश दिये, जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायालय की आदेशिका के साथ सत्यता की अवधारणा जुड़ी रहती है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में लिखी गई किसी भी कार्यवाही के लिए कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अपना वाद पत्र दिनांक 26–09–2002 को प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर आगामी पेशी नियत की गयी। प्रतिवादीगण परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हुये तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया तथा प्रतिवादी सं0 2 के अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया द्वारा आईन्दा पेशी पर वकालतनामा व जवाबदावा प्रस्तुत करने की अण्डर टेकिंग दी है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने मात्र कयासों के आधार पर प्रतिवादीगण की अपील गैर

कानूनी रूप से स्वीकार कर अपीलग्रस्त निर्णय पारित कर भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालौर का निर्णय दिनांक 27–06–2006 को निरस्त किया जाकर विद्वान सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–2004 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिए कि विद्वान परीक्षण ने वाद में आवश्यक तनकीयात नहीं बनाई तथा रेस्पो0 के नाटिस की तामिल नहीं होने के कारण विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण विद्वान परीक्षण न्यायालय को सही प्रतिप्रेषित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–2004 में अंकित किया कि आराजी मौजा धामसीन के खसरा नं0 785, 786, 787 कुल रकबा 0.99 है0 किस्म बारानी प्रथम पर वादी को खातेदारी अधिकार दिये जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण नं0 1 (अ,ब) डिक्री किया जाता है।

8– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालौर ने अपने निर्णय दिनांक 27–06–2006 में अंकित किया कि अपील अपीलांट स्वीकार कर की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–2004 अपास्त कर प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान न्यायालय सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा जिला जालौर ने अपने निर्णय दिनांक 10–02–2004 में अंकित किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 खाता नं0 29 के के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं0 785, 786, 787 रकबा क्रमशः 0.23, 0.33, 0.43 कुल रकबा 0.99 है0 बा.प्र. में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि काना पुत्र गयना कौम भांबी सा0दे0 खातेदार दर्ज है। आगे नोट में नामान्तरकरण सं0 163 जरिये काना (फौत) के बजाय कपूरा, रमेश पि0 काना के नाम दर्ज किये

गये हैं। इसी तरह जमाबन्दी सम्वत् खाना नं0 1 के अनुसार खसरा नं0 460 रकबा 234 बीघा 15 बिस्वा गै0मु0 नदी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 के खाता सं0 22 के अनुसार काना पुत्र गमना द्वारा नामान्तरकरण सं0 163 के अनुसार खसरा नं0 785, 786, 787 कुल रकबा 0.99 है0 मारवाड़ ग्रामीण बैंक बड़गांव रहने रखी थी जो नामान्तरकरण सं0 394 दिनांक 03-02-2004 के द्वारा रहन मुक्त हो चुकी है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2046 से 2049 के अनुसार उक्त विवादित आराजी में बाजरी, गैहू, इसबगुल व रजका की काश्त दर्ज है। दिनांक 14-11-1990 को आवंटन सूचि के अनुसार खसरा नं0 907 में से रकबा 0.80 है0 भूमि कसाराम को अस्थाई रूप से आवंटन हुई है। जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 से स्पष्ट है कि खसरा नं0 785, 786 व 787 रहन मुक्त हो चुके हैं तथा बैंक का कोई ऋण बकाया नहीं है तथा उन्हें पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 08-01-2003 की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि वादी के कब्जे काश्त में है तथा उसमें वादी की फसल बोई खड़ी है तथा इस आराजी में वादी की रहवासी ढ़ाणी बनी हुई है जिसमें वादी परिवार सहित रहता है। अन्दर बेरा बना हुआ है जिस पर इंजन लगा हुआ है जिससे वादी अपनी फसल को पिलाता है। भू अभिलेख निरीक्षक की वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 16-12-2003 के अनुसार खसरा नं0 907 में से रकबा 0-80 है0 भूमि मौके पर काबिल काश्त है परन्तु रिकॉर्ड में गै0मु0 नदी दर्ज होने से धारा 16/17 के अधीन बाधित होने से व वादी का प्रतिकूल कब्जा काश्त होने से खातेदारी दिया जाना संभव नहीं है। आराजी मौजा धामसीन के खसरा नं0 785, 786, 787 रकबा क्रमशः 0.23, 0.33, 0.43 कुल रकबा 0.99 है0 किस्म बारानी प्रथम पर वादी को खातेदारी प्राधिकार दिये जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 (अ,ब) के सादिर की जाती है। खसरा नं0 907 में से रकबा 0.80 है0 भूमि मौके पर काबिल काश्त है, परन्तु रिकॉर्ड में गै0मु0 नदी दर्ज होने से धारा 16/17 के अधीन बाधित होने से इसे खातेदारी नहीं दी जा सकती।

जिनके विरूद्ध अपील होने पर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 27-06-2006 में अंकित किया है कि

अधीनस्थ न्यायालय में वादी की समस्त कार्यवाही पूर्ण रूप से संदिग्ध प्रमाणित होती है। वाद में प्रतिवादीगण कपूरा व रमेश जो काना के पुत्र है। दिनांक 17–10–2002 की पेशी हेतु फर्द अहकाम पर उपस्थिति स्वयं की दर्ज है, अंगूठा निशान भी दो व्यक्तियों के हैं। परन्तु ये अंगूठा निशान किस–किस व्यक्ति के है, पढे नहीं जा सकते हैं न ही इनके नाम व विवरण फर्द अहकाम में दर्ज किये गये हैं। इस तारीख पेशी के नोटिस दोनों प्रतिवादीगण के श्री शिवराम से तामिल है। तामिल कुनिन्दा ने इसे प्रतिवादीगण कपूरा (अपीलांट) व रमेश का भाई बतलाया है। रिपोर्ट में शिवराम के बाप का नाम, पता लिखा गया है जिससे स्पष्ट है कि ये दोनों सम्मन कपूरा व रमेश के द्वारा तामिल नहीं किये गये हैं। शिवराम एक अजनबी व्यक्ति है। वादी रेस्पो0 ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की कि अपीलांट के पिता काना पुत्र गमना का नाम गलती से इस विवादित भूमि की जमाबन्दी में दर्ज हुआ हो। खसरा नं0 907 में से काश्त हेतु वादी/रेस्पो0 सं0 1 भी को 0.80 है0 अस्थाई आवंटन दिनांक 14–11–1990 को ही है। अपीलांट की तामिल सम्यक रूप से नहीं हुई है। रेस्पो0 रमेश की तामिल सम्यक रूप से नहीं हुई है। इसलिए अपील अपीलांट द्वारा जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश हुई है तथा शपथ पत्र का भी खण्डन नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद प्रमाणित होती है। अपीलांट की अपील उक्त वर्णित कारणों से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा का अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि इस वाद की कार्यवाही में फर्जकारी की गयी है, कार्यालय स्टॉफ इसमें सम्मिलित है। अतः स्वयं के स्तर से पूरे प्रकरण की जांच करें तथा ऊपर वर्णित बिन्दुओं एवं अन्य बिन्दुओं को जांच के समय ध्यान में रखें। तामिल कुनिन्दा जिसमें गलत तामिल करवाई है, के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाकर अपीलांट श्री कपूराराम व रेस्पो0 श्री रमेश पुत्र काना को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर समस्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर साक्ष्य लेकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान सहायक कलक्टर ने प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित

किया है जबकि तामिल सही ढ़ंग से नहीं हुई है जिसमें विद्वान सहायक कलक्टर ने अपने निर्णय में लिखा है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि वादी के कब्जे काश्त में है तथा उस आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये है जबकि मौका कमिश्नर रिपोर्ट भी एकतरफा बनायी गयी है, केवल कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा का निर्णय दिनांक 10-02-2004 विधिसम्मत् नहीं होकर काबिले खारिजी है।

11- विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने विस्तृत विवेचन कर अपील स्वीकार कर विद्वान सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा का निर्णय खारिज कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो उचित है।

12- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

13- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(रामनिवास जाट)**

सदस्य **सदस्य**